



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14613

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45366/2025

मशहूर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: मोहम्मद जफर याब खान, शहरोज़ खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

- वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थ नगर को निर्देशित करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि वे दिनांक 24.07.2025 के प्रत्यावेदन को तय करें, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 3-उप-जिलाधिकारी, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 26.08.2025 के प्रत्यावेदन को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।
- आज प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
- पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में भी, वर्तमान रिट याचिका को याची को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को स्पष्ट करते हुए एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। यदि याची द्वारा ऊपर बताए गए समय के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष ऐसा कोई प्रत्यावेदन दाखिल किया जाता है, तो उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे याची द्वारा प्रत्यावेदन दाखिल करने की तिथि से अति शीघ्र और अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"